

IMMEDIATE/RTI MATTER

No. 2/2/2016 – RTIC/04517
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi
Dated the 12th August,, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI application under RTI Act, 2005

An RTI application, dated 10.08.2016, of Shri Tapeswar Singh, received in the RTI Cell of DOPT, is transferred to Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Central Vigilance Commission, Central Information Commission, Central Administrative Tribunal, Institute of Secretariat Training Management, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Central Bureau of Investigation under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, as the subject matter of information pertains to the aforesaid public authorities.

Encl.: as above.


(D.K. Sengupta)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 2309/2982

To,

The CPIO, RTI Cell,
Union Public Service Commission,
Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi- 110069.

The CPIO, RTI Cell, Staff Selection Commission,
Block-12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

The CPIO, RTI Cell,
Central Vigilance Commission,
Satarkata Bhavan, GPO Complex, INA,
New Delhi- 110023.

The CPIO, RTI Cell,
Central Information Commission,
August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi.

The Central Public Information Officer,
Central Administrative Tribunal,
Principal Bench, 61/35, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001.

The CPIO, RTI Cell,
Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration,
(LBSNAA)
Mussoorie – 248179.


✓ The CPIO, RTI Cell,
Institute of Secretariat Training Management,
Old JNU Campus, New Delhi.

The Central Public Information Officer,
Central Bureau of Investigation (CBI),
CBI Headquarters,
Plot no. 5-B, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003.

Copy for information to:

<p>Shri Tapeswar Singh, Plot No. 35, Indra Puram, Shakti Khand-II, Near Swaran Jyanti Park and Sai Chowk, Ghaziabad, PO- Shipra Sun City, Uttar Pradesh- 201014.</p>	<p>This is not a reply to your RTI application. Your RTI application is being transferred herewith by the RTI cell of DOPT to the CPIOs/Authorities/Ministries who/which are felt dealing with the subject and hence the appropriate CPIO/Authorities to give reply to your application. You are requested to contact the aforementioned public authority with reference to information sought by you.</p>
--	--





- ① SSC
- ② UPSC
- ③ ISTM
- ④ LBSNAA
- ⑤ CIC
- ⑥ CAT
- ⑦ CBE
- ⑧ CUC

RIGHT TO INFORMATION

No.49011/03/2016-Estt.(C)
 Government of India
 Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
 Department of Personnel & Training
 Establishment C Section

20
 12/8/16

North Block, New Delhi-110001
 Dated 10th August, 2016

To
 Shri Tapeshwar Singh
 Plot No.35, Indra Puram, Shakti Khand-II,
 Near Swaran Jyanti Park and Sai Chowk,
 Ghaziabad, P.O-Shipra Sun city,
 Uttar Pradesh-201014

04517/RTI/2016
 12/8/16

Sub: Supply of Information under Right to Information Act, 2005- Reg.

Sir,

Please refer to your RTI Application Dy.No.DOP&T/R/2016/04267 dated 30.07.2016. It is informed that. The undersigned CPIO does not hold any such information with regard to your queries and as such regrets inability to furnish the same to you. It is informed that a copy of your RTI application has also been sent to CPIO, US(Coord.II) & DS(Admin.), of this department for furnish information as available with him/them.

2. It is also to inform you that as per the Right to Information Act, 2005 CPIO is required to provide information as available with him in the form of OM, Notification, Rules, Regulations, Orders, Letters and Circulars etc. Queries/ Clarification or interpretation of information is outside the purview of the Right to Information Act, 2005. The CPIO is not supposed to create information; or to interpret information.


3. In case you are not satisfied with this reply, you may file an appeal within 30 days with the Appellate Authority in the above matter, namely Shri Mukesh Chaturvedi, Director (Estt.) Department of Personnel & Training, Government of India, North Block, New Delhi.

Your Faithfully

Surya Narayan Jha
 (Surya Narayan Jha)

CPIO & Under Secretary
 Tel: 23094248

① ~~CPIO, DS (Admin) DOP T.~~
 Encl- RTI Application.



Action
 11/8/16
 DSC/DKS
 11/8

UNDER RTI ACT 2005

बिना नाम एवं प्रविष्टान विभाग
Dept. of Personnel & Trg.

22 JUL 2016

Information sought under RTI Act 2005.

By Speed Post

09-07-2016

में,

The Public Information Officer (PIO),
Department of Personnel & Training
Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions,
North Block, New Delhi - 110001.

Handwritten notes and signatures:
⑤ CS (Personnel & Trg.)
Delhi
⑥ M/O (Personnel & Trg.)
④ Sh. Manoj Mishra (CS/CSA)
① C int officia, US (CSA)
② Sh. Shubodha Sahi (CS/CSA)
③ D/O Expenditure (G.F.)

Subject:- Information sought under RTI Act 2005.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कृपया हिंदी में दें।

Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions,
Govt. of India, कृपया निम्नलिखित जानकारी दे.....

Handwritten file numbers:
③ 586-04270/RTI/16
①-04267/RTI/16
② 04269/RTI/16
④ 04268/RTI/16

- कृपया बताएं कि क्या कोई Requirement Rule (RR) /Policy/etc है contract employees को रखने के लिए या उन्हें दि जाने वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ जैसे salary/wages with breakup, type of leave with details and other allowances and facilities का विस्तार से विवरण सहित बताएं व (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
- कृपया बताएं कि क्या आपके विभाग में contract employees के साथ किस प्रकार का contract agreement किया है। उसके नियम व शर्तें बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। क्या सभी contract employees के साथ एक प्रकार का contract agreement किया है या अलग-अलग श्रेणी के employees के साथ अलग contract agreement किया है दोनों ही सूरत में सभी की attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। तथा क्या उनकी post sanction / create आप के विभाग में है दोनों ही सूरत में विस्तार से विवरण सहित बताएं व (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
- कृपया बताएं कि ने अपने सभी contract employees को समान सुविधाएँ जैसे salary/wages, leave and other allowances and facilities एक समान है यदि नहीं तो विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
- कृपया बताएं कि Delhi Jal Board direct engage by contract employees / computer operator / जो पिछले 12 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार विभाग में काम कर रहे हैं उनको Delhi Jal Board किसी भी तरह की medical leave / ESIC / EPF जैसी सुविधाएँ किस नियम की वजह से नहीं दे रहा है। तथा उनको सिर्फ Minimum Wages ही दे रहा है Rs. 11,622/- Delhi Jal Board कहता है कि उनके यहाँ पर computer operator की sanction post नहीं है इस वजह से हम उन्हें इन सुविधाओं को नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या विभाग 12 सालों से computer operator की post को create क्यों नहीं करा सका क्या इस बारे क्या किस rule / policy / Act / etc के तहत विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
- कृपया बताएं कि क्या कोई समय सीमा है post को create करने rule / policy / Act / etc बताये और (supporting document) प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
- विभाग contract employees / computer operator से काम तो सालों तक लेता रहे मगर उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से Delhi Jal Board contract employees computer operator को ESIC के नाम पर सिर्फ खानापूति के रूप में उसका contribution Rs. 552/- दे रहा है। इस नियम के तहत या पोलसी के तहत विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।

UNDER RTI ACT 2005

7. कृप्या बताए कि contract employees के लिए किसी भी बारे में अखिरी बार कब और कहां तथा किसके र. इन पर विचार किया गया हो या कभी Meeting/proposal/note/letter तैयार किया गया हो या लाया गया है. और किसी भी प्रकार से सम्बंधित latest amendment rule / policy/Office Order/ Instruction /Act / etc attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
8. कृप्या बताए कि contract employees जिनकी sanction post नहीं है क्या उन सभी को समान सुविधाएं जैसे salary/wages, leave and other allowances and facilities एक समान है यदि नहीं तो विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
9. कृप्या बताए कि Delhi Jal Board ने पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से काम लेने के बाद भी Delhi Jal Board ने computer operator की post create किस कारण से नहीं किया। क्या कोई ऐसा नियम या कानून या समय सीमा है post create करने कि। Delhi Jal Board computer operator से 12 साल से लगातार काम तो ले सकते है मगर उन्हें उनका हक नहीं दे सकते है हमें किसी भी प्रकार की ना ही medial leave, PF, ESI नहीं मिलती है। हम आज भी स्वतन्त्र भारत में दासों सी जिंदगी जी रहे है। कृप्या बताए कि क्या कभी पुर्व में या वर्तमान में कभी किसी प्रकार की कोई file / proposal / meeting / note बनाया गया हो यह किसी प्रकार का प्रताव दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार के समक्ष रखा गया हो कृप्या उनका पुर्ण विवरण दे (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
10. कृप्या बताए कि क्या कभी पुर्व में या वर्तमान में किसी meeting / file / note / proposal या किसी अधिकार computer operator / contract employees की sanction post को create करने के बारे में कोई कदम या किसी प्रकार कार्यवही के लिए दिल्ली सरकार के समक्ष रखा गया तथा वह किस स्तर पर और कहां पर है विवरण सहित बताएं तथा (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
11. कृप्या बताए कि कभी पुर्व में या वर्तमान में किसी Honorable Court द्वारा Computer Operator/Data Entry Operator / contract employees के बाने में कोई दिश-निदेश या किसी भी प्रकार suggestion मिला है sanction post को create करने के बारे में तथा किसी और संबंध में तथा Delhi J Board या दिल्ली सरकार द्वारा उस क्या कारवाही या किस प्रकार का कदम उठाया गया तथा किसी स्तर पर विवरण सहित बताएं तथा (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
12. कृप्या बताए कि Central Govt. / State Govt. and any Board, Corporation etc ने Recruitment Rule (RR) /Policy/etc बनाएँ contract employee को रखने के लिए या उन्हें दि. वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताए व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
13. कृप्या बताए कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Pay Grievances and Pensions, Govt. of India and Labour Department /Chief Lab Commissioner, Govt. of India ने कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) /Policy/etc Computer Operator/Data Entry Operator / contract employees के लिए बनाएँ प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
14. कृप्या बताए कि Recruitment Rule (RR) /Policy/etc contract employees के लिए बनाएँ हैं प्रति (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया व किसका और क्यों विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
15. कृप्या बताए कि कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) /Policy/etc Computer Operator/Data Entry Operator / contract employees के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों किया विवरण सहित बताए प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।

UNDER RTI ACT 2005

- कृपया बताए कि आपके आधिन विभिन्न विभागो/divisions/offices ने कोई नया Recruitment Rule (RR) /Policy/etc बनाए है Computer Operator/Data Entry Operator / contract employees को स्थाई करने के लिए या उनके बारे में यदि हों तो विस्तार से विवरण सहित बताए व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराए और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। यदि कोई समय सीमा है तो बताए या इसमें अभी कितना समय लगेगा विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
17. कृपया बताए कि आधिन विभिन्न विभागो/divisions/offices में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत कर्मचारियों जिनकी sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
18. कृपया बताए कि आधिन विभिन्न विभागो में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees) engaged by third party / contractor कार्यकृत कर्मचारियों जिनकी sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
19. कृपया बताए कि आधिन विभिन्न विभागो में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Labour Department /Chief Labour Commissioner के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices विभाग द्वारा पुर्व में स्थाई (permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
20. कृपया बताए कि आधिन विभिन्न विभागो में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत किसी भी पद पर (any post) जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Labour Department /Chief Labour Commissioner के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc विभाग द्वारा पुर्व में स्थाई (permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
21. कृपया बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc etc किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तथा उन्हें दि जाने वाले भुगतान व सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
22. कृपया बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे हैं कृपया उनकी संख्या व कब से कार्य कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति कैसे हुई के बारे में विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
23. कृपया बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे हैं विभागों द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएँ (Any type of leave and Financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
24. कृपया बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कम है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) ज्यादा काम कर रहे हैं

- है उन विभागों द्वारा दि जा रही सुविधे (Any type of leave and Financial and others, Salary/b etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
25. कृपया बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में काम व रहे Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे है विभागों द्वारा उनको दि जा रही सुविधे (Financial and other Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
26. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में कितने कंप्यूटर आपरेटर / या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविधा (contract) पर विभाग द्वारा direct appoint संख्या बताए व प्रतिलिपि दे। किस आधार पर इनकी नियुक्ती की गई तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी और इन दि जाने वाली वितिय व अन्य सुविधाए का विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे। उस विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ जिसके द्वारा कथित कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) नियुक्ती की गयी थी। इन कंप्यूटर आपरेटरों को किन नियम व शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गया विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे।
27. संविधा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्त NIELIT/ DOEACC and any third party / agency या टेकेदारों द्वारा किया गया है उनकी संख्या व कब से रखे गये है समय भी बताए तथा किन नियम व शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया गया विज्ञापन/ नियुक्ति सम्बंधी करार की प्रतिलिपि व विवरण सहित बताए व उपलब्ध कराए।
28. संविधा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) NIELIT/ DOEACC या अन्य किसी एजेंसी या टेकेदारों के द्वारा संविधा पर नियुक्त किये गए कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) में से किसी को Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc ने अपने पेरोल या स्थाई तोर पर रखा ? यदि हों तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएँ।
29. क्या आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की कई श्रेणियां है ? यदि हों तो उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रति उपलब्ध कराएँ।
30. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन मिलता है तथा इनकी वेतन बढ़ोतरी किस आधार पर होती है और इनका वर्तमान वेतन दिनांक 01-07-2016 को कितना है। इन सबकी प्रति उपलब्ध कराएँ Salary Breakup सहित।
31. संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस प्रकार के भत्ते सुविधाए आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc द्वारा दिये जा रहे हैं विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे जैसे: किसी भी प्रकार की Leave/allowances या कोई और Financial and other facility विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे।
32. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को अगर अपने कार्यस्थल आने या जाने पर किसी भी प्रकार का विभागीय कार्य करने में कोई Accident या अनहोनी होने पर विभागो द्वारा दि जाने वाली किसी भी प्रकार की facility का हवाला दे विवरण दे तथा पूर्व में किसी को दि गई है तो विवरण सहित प्रतिलिपि दे। अगर नहीं तो उस नियम का भी पूर्ण विवरण दे तथा वजह बताए तथा प्रतिलिपि भी दे।
33. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Salary / agreement / Increment

UNDER RTI ACT 2005

- Facility / Any type Bonus / Last and latest Salary increment and any facility की प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराएँ।
34. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरो या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को कितने समय के लिए रखे गए है तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। विभागो द्वारा इनका अनुबंध आखिरी बार कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। उसकी प्रति उपलब्ध कराएँ।
35. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरो या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी करने के लिए क्या कोई प्रावधान हे तो प्रति उपलब्ध कराएँ।
36. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरो या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी नही करने मे आ रही अडचन या नियम व कानून तथा विसंगतियों का विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।
37. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरो या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी किया गया हे। यदि हा तो विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।
38. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc November 2015 तक कितने Computer Operator या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविधा (contract) की आवश्यकता विभागो के अनुसार द्वारा बताए।
39. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc January 2015 के बाद से अब तक कितने Computer Operator / या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविधा (contract) पर लगाए गए उनकी सूची दिनांक सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ।
40. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में क्या कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post है। कृप्या किस विभाग में कितनी हे क विवरण दे व प्रतिलिपि दे।
41. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर अधारित कंप्यूटर ओपरेट या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन दिया जाता है। उसका प्रति उपलब्ध कराएँ।
42. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई कंप्यूटर आपरेटरो व Graduate & Non graduate के आधार पर वेतन दिया जाता है। प्रति उपलब्ध कराएँ।
43. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तो कि आधार पर और कितना वेतन दिया जाता है विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ (Break up) सहित।
44. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को minimum wages के अधार प वेतन देती है यदि नहीं तो क्यों विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ। यदि हा तो भी विवरण सहित बता तथा प्रति उपलब्ध कराएँ।
45. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कितनी है तथा कितने कार्यरत है तथा उनमें कितने स्थाई है तथा कितने अस्थाई है विभागीय विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराएँ।
46. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में किसी भी श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी व पूर्व में स्थाई किया गया है या किया जा रहा है दोनों ही स्थिति में बताए कि किस प्रावधान व नियम के तहत इ स्थाई किया गया है तथा किया जा रहा है। प्रति उपलब्ध कराएँ।

47. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को क्या कभी स्थाई किया है या किया जा रहा है स्थायीकरण (Regular) के लिये क्या प्रकिया अपनाई गई है बताए तथा किस प्रावधान के तहत इन्हें स्थाई किया जा रहा है व रूल पोशिशन / नियम भी बताए प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराए।
48. संविदा पर नियुक्त किसी भी श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी को स्थाई करने के लिए आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc ने क्या मापदंड रखे गए बताए तथा किस प्रकार के आयोजन किये गए जैसे: Test / Interview / Age Relaxation / Education Qualification / Technical Qualification / Working period in department (experience) etc विस्तार से और विवरण सहित बताए तथा प्रति दे।
37. क्या आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc बिना किसी चयन बोर्ड जैसे DSSSB/SSC and any govt. selection body/ board etc, except his own department (जहां वे काम कर रहा है) के बिना भी किसी भी कर्मचारी को स्थाई कर सकता है या करने में सश्रम है तो रूल पोशिशन / नियम व ओडर की कोपी दे और बताए अगर ऐसा किसी विभाग द्वारा किया गया है तो कब तथा किस आधार पर नियम विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।
49. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में में कुल कितने अस्थाई व स्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे है या कार्य कर चुके है October 2015 तक पद सहित संख्या बताए तथा उन कर्मचारियों की नियुक्ती कब और किस प्रकार से हुई है बताए तथा प्रतिलिपि (photocopy) दे।
50. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में sanction post create करने के लिए क्या प्रावधान आधार नियम विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए। है अगर किसी विभाग में sanction post नहीं है तो क्या विभाग द्वारा sanction post create करने के लिए कोई समय सीमा है त बताए तथा इससे सम्बंधित कोई भी नियम व Rule position बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
51. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई (Direct engage by Department) कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) या कोई श्रेणी के कर्मचारी जो पिछले 05 सालो से भी अधिक समय से विभाग में कार्य कर रहे है उनका क्या Future तथा क्या उनके के लिए कोई Proposal / file है या बन रही है तो तो बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
52. आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई (Direct engage by Department) कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) कोई श्रेणी के कर्मचारी को नियमित या कुछ सुविधाएं बढाने जैसे किसी भी प्रकार के वित्तिय भत्ते आदि के लिए व Proposal / file बनी थीं या चली रही हैं दोनो ही स्थिती में विस्तार से बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
53. Contractual employees के लिए क्या-क्या प्रावधान या किस प्रकार के नियम है व एक्ट है तथा उनहे किस त के सुविधाएँ दी जाती है के बारे में विस्तार से बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
54. आपके के आधिन के किसी विभाग (divisions/offices etc) द्वारा प्रावधान या नियम व एक्ट तथा सुविधाएँ लागु हो तो उसको लागु करवाने के लिए किस प्रकार के नियम है व प्रावधान है तथा उस विभाग पर किस तरह कार्यवाही की जा सकती है के बारे में विस्तार से बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
55. क्या बताए कि आपके के आधिन के किसी विभाग (divisions/offices etc) में किसी भी पद पर कार्य कर Contractual employees जिसकी उस विभाग में Sanctioned Post नहीं हैं तो किसी वर्ग के Contractual employees को तो minimum wages दें और दूसरे वर्ग के Contractual employees को minimum wages से ज्यादा दे सकता है किस नियम के तहत विस्तार से बताए व प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराए।
56. क्या यह भी बताए कि आपके के आधिन किसी विभाग (divisions/offices etc) में किसी भी पद पर कार्य रहे Contractual employees जिसकी उस विभाग में Sanctioned Post नहीं हैं और विभाग द्वारा

UNDER RTI ACT 2005

- NIELIT/ DOEACC या अन्य किसी एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा संविदा पर नियुक्त Contractual employees को विभाग द्वारा Madical and PF Facility with third party commission तो दे सकता है परन्तु अपने आधिन कार्य कर रहे कर्मचारी को सिर्फ minimum wages ही दे सकता है क्या ऐसा कोई नियम या कानून है तो इस नियम व कानून के तहत विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उपलब्ध कराए।
57. बताए कि अगर सरकारी विभाग द्वारा ही अपने संविधा पर अधारित कर्मचारियों का सालों से उपेक्षित किया जा रहा है। कृप्या बताए कि हमारे जैसे संविधा पर 10 से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को क्या - क्या सुविधाए मिल सकती है तथा हमारे लिए किस तरह के नियम कानून है विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उपलब्ध कराए।
58. कृप्या बताए कि आपके के आधिन विभिन्न विभागो में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees) engaged by third party / contractor / NIELIT / DOEAAC कार्यकृत कर्मचारियों जैसे (computer operator / data entry operator) को Labour Department /Chief Labour Commissioner ने पूर्व में या वर्तमान में कभी अपने पेरौल / contract पर रखा है तो उनकी सूचि कि प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।


Encl: Postal order Rs.10/-

Nos of pages 09

Nos of Question 1 to 58

Photocopy of राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्ड, दिल्ली सरकार द्वारा गरीबी रेखा से निचे रहने वालो के लिए जार होता है तो इस इसप्रकार आप मुझे किसी भी प्रकार के भुगतान से वचिंत रखे। (below in poverty line rashan card)

Note: Please send RTI reply and any correspondence in my new address as below:



(Tapeswar Singh)

Plot No. 35, Indra Puram, Shakti Khand-II,
Near : Swaran Jyanti Park and Sai Chowk,
Ghaziabad (UP)- 201014

Post office : Shipra Sun City, Gaziabad (UP)-
201014

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता कार्ड

कार्ड नं. 077000739927



नाम ANJU DEVI

पता 104154 GALI NO. 14 SHANTI MAUHALI DELHI, GANDHI NAGAR, DELHI - 110031

व्यक्ति का नाम M/S. BANI LAL ANIL KUMAR CHH...

र
।
र
a
र

प्रकार के सदस्यों के नाम

नाम	नाम
ANJU DEVI	
GOURAV SINGH	
NEHA KUMARI	
NITIN SINGH	
TAPESHWAR SINGH	

दिल्ली सरकार
दिल्ली विद्यापीठ

